उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No......H48705..... / सी–6/बैटरी प्रबंधन एवं हथालन/10 /2020 **Dated** 11-3-2020

<u>ई–मेल द्वारा</u>

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
....

<u>विषय :बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 यथासंशोधित 2010 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन तथा नयी लेड एसिड बैटरी के निर्माण एवं आयात रजिस्ट्रड्र्स डीलर्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 29.02.2020 को सम्पन्न हुई 104 वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची संख्या–104.18 द्वारा उक्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्ताव एवं प्रस्ताव अनुमोदन की छाया प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 यथासंशोधित 2010 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन तथा नयी लेड एसिड बैटरी के निर्माण एवं आयात रजिस्ट्रड्र्स डीलर्स रजिस्ट्रेशन निर्धारित शुल्क रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) जमा कराकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निर्गमन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6) नोडल बैटरी

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, महोदय, को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हेतु अपने वृत्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. विधि अधिकारी, प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6) नोडल बैटरी

Emailed 11/3/2020

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

3/3/2020

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या– G32430 /32/2020/8 दिनांक– 03-3-2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6,
''बोर्ड'' मुख्यालय।

दिनांक–29 फरवरी, 2020 को सम्पन्न हुई 104वीं बैठक की कार्यसूची संख्या 104.18, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, पर बोर्ड द्वारा उसके समक्ष अंकित निर्णय लिया गया:–

क्र0 सं0	विषय	कार्य–सूची संख्या	निर्णय
1.	बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 यथासंशोधित 2010 के प्राविधानों क अनुपालन हेतु बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन तथा नयी लेड एसिड बैटरी के निर्माण एवं आयात रजिस्टर्ड्स डीलर्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।	104.18	प्रस्ताव अनुमोदित।

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए वर्णित निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्या0 अधि0(प्रशा0)

EE / SA.
4/3/20

कार्यसूची संख्या–104.18

विषयः–बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 यथासंशोधित 2010 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन तथा नयी लेड एसिड बैटरी के निर्माण एवं आयात रजिस्ट्रर्ड्स डीलर्स रजिस्ट्रेशन की प्रकिया एवं शुल्क निर्धारण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।

बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2001 यथासंशोधित 2010 में निम्न प्राविधान हैः–

Obligation on the part of entrepreneur under the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 The Batteries (Management & Handling) Rules, 2001 apply to every manufacturer, importer, reconditioner, assembler, dealer, recycler, auctioneer, consumer and bulk consumer involved in manufacture, processing, sale, purchase and use of batteries or components thereof. Responsibilities of manufacturer, importer, assembler and re-conditioner:

It is the responsibility of a manufacturer, importer, assembler and re-conditioner-

- to ensure that the used batteries are collected back as per the schedule against new batteries sold excluding those sold to original equipment manufacturer and bulk consumer(s);
- to ensure that the used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;
- to file a half-yearly return of their sales and buy-back to the State Board in Form-I (Annexure-I) latest by 30th June and 31st December of every year;
- to set up collection centres either individually or jointly at various places for collection of used batteries from consumers or dealers;
- to ensure that used batteries collected are sent only to the registered recyclers ;
- to ensure that necessary arrangements are made with dealers for safe transportation fromcollection centres to the premises of registered recyclers ;
- to ensure that no damage to the environment occurs during transportation ;
- to create public awareness through advertisements, publications, posters or by other means with regard to the following -
    - hazards of lead ;
    - responsibility of consumers to return their used batteries only to the dealers at designated collection centres; and
    - addresses of dealers and designated collection centres;
- use the international recycling sign on the Batteries ;
- buy recycled lead only from registered recyclers ; and
- bring to the notice of the State Board or Ministry of Environment and Forests any violationby the dealers.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया जाना उचित होगा। रजिस्ट्रेशन का शुल्क रू0 10000/– (रूपया दस हजार मात्र) निर्धारित किया जाना समीचीन होगा।

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है किः–

. उपरोक्त का अवलोकन कर, प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।